

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/एल०-46/2026-

/स्वा०, पटना, दिनांक-

डा० स्वर्णिम स्वाति, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (प्रसूति एवं स्त्री रोग), अनुमंडलीय अस्पताल, राजगीर, नालन्दा द्वारा दिनांक-04.04.2026 से 30.09.2026 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिन प्रथम सतान के प्रसव हेतु उपभोग की जाने वाली अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/एल०-46/2026- 845(2) पटना, दिनांक 21/4/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नालन्दा / प्रभारी उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, राजगीर, नालन्दा/जिला कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा/डा० स्वर्णिम स्वाति, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (प्रसूति एवं स्त्री रोग), अनुमंडलीय अस्पताल, राजगीर, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

M. K. 20/4/26
सरकार के उप सचिव।
2